



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

कार्य परिषद् की बैठक

दिनांक - 12.11.2021

समय मध्याह्न - 12:00 बजे से

स्थान - योग साधना केन्द्र

1- प्रो. हरेराम त्रिपाठी, कुलपति- अध्यक्ष

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 2- प्रो. रमेश प्रसाद | 3- प्रो. महेन्द्र पाण्डेय |
| 4- प्रो. राजनाथ | 5- प्रो. हरिप्रसाद अधिकारी |
| 6- डा. दिनेश कुमार गर्ग | 7- डा. विजय कुमार शर्मा |
| 8- प्रो. योगेश चन्द्र दूबे | 9- प्रो. सीमा सिंह (Online) |
| 10- डा. अरूण कुमार राय | 11- डा. विजेन्द्र कुमार आर्य |
| 12- वित्त अधिकारी | 13- कुलसचिव - सचिव |

मंगलाचरण- डॉ. विजय कुमार शर्मा

सर्वप्रथम कुलपति महोदय ने परिषद् के माननीय सदस्यों का अभिनन्दन करते हुए कार्यपरिषद् की कार्यवाही प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की।

कार्यक्रम संख्या-1- कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 28.07.2021 की कार्यवाही की पुष्टि।

विचार-विमर्श के अनन्तर कार्यपरिषद् ने विगत बैठक दिनांक 28.07.2021 के कार्यवाही की पुष्टि की।

कार्यक्रम संख्या-2- कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 28.07.2021 में लिये गये निर्णयों के क्रियान्वयन की सूचना।

कार्यपरिषद् के समक्ष परिषद् की विगत बैठक दिनांक 28.07.2021 में लिये गये निर्णयों के क्रम में क्रियावयन रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। क्रियावयन रिपोर्ट पर विचार के क्रम में परिषद् ने विगत बैठक में अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषयों पर विचार के बिन्दु -3 पुस्तकालय संवर्ग (सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/उप पुस्तकालयाध्यक्ष/ पुस्तकालयाध्यक्ष) को मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या- 55164/2017 में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2017 एवं तत्सम्बन्ध में प्राप्त विधिक राय के क्रम में संत्रात लाभ अनुमन्य करने के संदर्भ में लिये

गये निर्णय पर पुनः विचार करते हुए निर्णय पर पुनः विचार करते हुए निर्णय लिया कि पुस्तकालय संवर्ग (सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/उप पुस्तकालयाध्यक्ष/ पुस्तकालयाध्यक्ष) को शिक्षकों की भाँति 62 वर्ष की अधिवर्षिता वय पूर्ण होने के पश्चात् सत्रांत लाभ प्रदान करने हेतु कोई शासनादेश नहीं है। अतः पुस्तकालय संवर्ग (सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/उप पुस्तकालयाध्यक्ष/ पुस्तकालयाध्यक्ष) के कर्मियों को शिक्षकों की भाँति सत्रांत लाभ न अनुमन्य किया जाय। साथ ही कार्यपरिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि श्री जितेन्द्र कुमार तिवारी सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष दिनांक 18.07.2021 अपनी 62 वर्ष की अधिवर्षितावय पूर्ण करने के पश्चात् कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 28.07.2021 में हुए निर्णय के क्रम में सत्रांत लाभ के अंतर्गत अभी तक कार्यरत है। अतः श्री जितेन्द्र कुमार तिवारी से दिनांक 12.11.2021 के बाद से कार्य लेना बंद किया जाये तथा उक्त अवधि में किये गये कार्य का वेतन सहित अन्य भत्ते का भुगतान किया जाय।

क्रियांवयन रिपोर्ट पर विचार के क्रम में कार्यपरिषद् ने यह भी निर्देश दिया कि-

- 1- शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वार्षिक निष्पत्ति प्रतिवेदन, वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदत्त करने से पूर्व प्रतिवर्ष 30 जून से 15 जुलाई के मध्य अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- 2- आवास आवंटन समीक्षा समिति की संस्तुति के क्रम में आवास आवंटन नियमावली के अंतर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
तत्पश्चात् परिषद् अन्य क्रियांवयन रिपोर्ट से अवगत होते हुए कृत कार्यवाही पर अपनी स्वीकृति प्रदान की।

कार्यक्रम संख्या -3- माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद (प्रयागराज) द्वारा याचिका संख्या 24208/2019 कमेटी ऑफ मैनेजमेण्ट श्री त्रिवेणी संस्कृत महाविद्यालय बनाम स्टेट ऑफ यूपी. व अन्य में पारित अवमानना आदेश दिनांक 08.09.2021 के अनुपालन के संबंध में।

कार्यपरिषद् को अवगत कराया कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद(प्रयागराज) द्वारा अवमानना याचिका संख्या-3744/2019, कमेटी ऑफ मैनेजमेण्ट श्री त्रिवेणी संस्कृत महाविद्यालय, प्रयागराज में पारित आदेश दिनांक 08.09.2021 के अनुपालन में अधोलिखित कार्यवाही की गयी है-



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

प्रकाशित ०८०४ ०४०४०४ (प्रकाशक) द्वारा आयोजित कार्यक्रम संख्या-३२५५/२०१९, कमेटी द्वारा निर्धारित श्री विवेकी संस्कृत महाविद्यालय, प्रकाशक से करित आवेदन दिनांक ०४-०९-२०२१ के अनुपालन के सम्बन्ध में।

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	कुल कार्यवाही
१.	विन्नी संस्कृत महाविद्यालय, वाराणसी (याचिका सं. १४०९/२०१९)	निस्तारित (प्रत्येक अनुस्मारक प्रेषित)
२.	श्री गणेश संस्कृत महाविद्यालय, वाराणसी, अस्सी (याचिका सं. १२०३५/२०१९)	प्रक्रियाधीन
३.	श्री आर्य समाज संस्कृत महाविद्यालय, अस्सी, वाराणसी (याचिका सं. २५१३५/२०१९)	निस्तारित (प्रत्येक वर्ष)
४.	श्री आर्य समाज संस्कृत महाविद्यालय, वाराणसी (१५३९/६१) (याचिका सं. २२१९०/२०१९)	प्रक्रियाधीन (अनुस्मारक प्रेषित)
५.	श्री आर्य समाज संस्कृत महाविद्यालय, वाराणसी (१५३९/६२) (याचिका सं. २२३००/२०१९)	प्रक्रियाधीन (अनुस्मारक प्रेषित)
६.	श्री आर्य समाज संस्कृत महाविद्यालय, वाराणसी (याचिका सं. २२३०१/२०१९)	प्रक्रियाधीन (अनुस्मारक प्रेषित)
७.	श्री आर्य समाज संस्कृत महाविद्यालय, वाराणसी (याचिका सं. २२५१९/२०१९)	प्रक्रियाधीन (अनुस्मारक प्रेषित)
८.	श्री आर्य समाज संस्कृत महाविद्यालय, वाराणसी (याचिका सं. २२५३२/२०१९)	प्रक्रियाधीन (अनुस्मारक प्रेषित)
९.	श्री आर्य समाज संस्कृत महाविद्यालय, वाराणसी (याचिका सं. २२५३३/२०१९)	प्रक्रियाधीन (अनुस्मारक प्रेषित)
१०.	श्री आर्य समाज संस्कृत महाविद्यालय, वाराणसी (याचिका सं. २२७१२/२०१९)	प्रक्रियाधीन (अनुस्मारक प्रेषित)
११.	श्री आर्य समाज संस्कृत महाविद्यालय, वाराणसी (याचिका सं. २२७१३/२०१९)	प्रक्रियाधीन (अनुस्मारक प्रेषित)
१२.	श्री आर्य समाज संस्कृत महाविद्यालय, वाराणसी (याचिका सं. २२७१४/२०१९)	प्रक्रियाधीन (अनुस्मारक प्रेषित)
१३.	श्री आर्य समाज संस्कृत महाविद्यालय, वाराणसी (याचिका सं. २२७१५/२०१९)	प्रक्रियाधीन (अनुस्मारक प्रेषित)
१४.	श्री आर्य समाज संस्कृत महाविद्यालय, वाराणसी (याचिका सं. २२७१६/२०१९)	प्रक्रियाधीन (अनुस्मारक प्रेषित)
१५.	श्री आर्य समाज संस्कृत महाविद्यालय, वाराणसी (याचिका सं. २२७१७/२०१९)	प्रक्रियाधीन (अनुस्मारक प्रेषित)
१६.	श्री आर्य समाज संस्कृत महाविद्यालय, वाराणसी (याचिका सं. २२७१८/२०१९)	प्रक्रियाधीन (अनुस्मारक प्रेषित)
१७.	श्री आर्य समाज संस्कृत महाविद्यालय, वाराणसी (याचिका सं. २२७१९/२०१९)	प्रक्रियाधीन (अनुस्मारक प्रेषित)
१८.	श्री आर्य समाज संस्कृत महाविद्यालय, वाराणसी (याचिका सं. २२७२०/२०१९)	प्रक्रियाधीन (अनुस्मारक प्रेषित)
१९.	श्री आर्य समाज संस्कृत महाविद्यालय, वाराणसी (याचिका सं. २२७२१/२०१९)	प्रक्रियाधीन (अनुस्मारक प्रेषित)
२०.	श्री आर्य समाज संस्कृत महाविद्यालय, वाराणसी (याचिका सं. २२७२२/२०१९)	प्रक्रियाधीन (अनुस्मारक प्रेषित)
२१.	श्री आर्य समाज संस्कृत महाविद्यालय, वाराणसी (याचिका सं. २२७२३/२०१९)	प्रक्रियाधीन (अनुस्मारक प्रेषित)

22.	श्री चण्डी मंदिर रामस्वरूप गुप्त आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, जौनपुर (1332/61) (याचिका सं. 4470/2019)	प्रक्रियाधीन (अनुस्मारक प्रेषित)।
23.	पंचायती स्वामी ब्रह्मानन्द संस्कृत महाविद्यालय नया बाजार, बस्ती (1827/61) (याचिका सं. 4485/2019)	प्रक्रियाधीन।
24.	श्री वैष्णव भगवान देशराजमूरी, संस्कृत महाविद्यालय, जौनपुर (1352/61) (याचिका सं. 4543/2019)	प्रक्रियाधीन (अनुस्मारक प्रेषित)।
25.	श्री वैकटेश परशुकुश सं.ग.वि., अस्सी, वाराणसी	प्रक्रियाधीन।
26.	ब्रह्मचारी संस्कृत महाविद्यालय, वाराणसी	प्रक्रियाधीन।
27.	माध्वानन्द गिरी संस्कृत महाविद्यालय, वाराणसी (1298/61)	निस्तारित (प्रत्येक वर्ष)।
28.	अधिकुल संयोगि0, सिसवा बाजार, पहराजगंज	प्रक्रियाधीन।
29.	श्री हरदेवदास नथमल बैरोलिया संस्कृत महाविद्यालय, टेड़ीनीम, वाराणसी(1776/61)	प्रक्रियाधीन।
30.	नेपाली संस्कृत महाविद्यालय, बंगलाचौरी, वाराणसी	प्रक्रियाधीन।
31.	श्री कबीर आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, कबीर चौक, वाराणसी	प्रक्रियाधीन।

08/11/2021

08/11/2021

08/11/2021

07/11/2021

कार्यपरिषद् कृत कार्यवाही से अवगत हुयी तथा सम्पुष्टि की।

कार्यक्रम संख्या-4- उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-1651/सत्तर-1-2021-16(87)/2018, दिनांक 22 अक्टूबर, 2021 पर विचार।

कार्यपरिषद् के समक्ष अधोलिखित उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-1651/सत्तर-1-2021-16(87)/2018, दिनांक 22 अक्टूबर, 2021 विचारार्थ प्रस्तुत किया गया-

संख्या-1651/सत्तर-1-2021-16(87)/2018

प्रेषक, मनोज कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
1. कुलपति,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक,
उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 22 अक्टूबर, 2021

विषय: सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से सम्बद्ध अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत महाविद्यालयों में नितान्त अस्थायी रूप से मानदेय पर शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में।

महोदय,
उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के पत्र संख्या-1650/सत्तर-1-2021-16(87)/2018 दिनांक 22 अक्टूबर, 2021 द्वारा सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से सम्बद्ध अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत महाविद्यालयों में शिक्षकों के नियमित रूप से नियुक्ति के उपरान्त कार्यभार ग्रहण करने, तक संस्कृत शिक्षकों के रिक्त पदों को कार्यरहित में विकल्प के रूप में सेवानिवृत्त शिक्षकों से 70 वर्ष की उम्र तक कतिपय शर्तों के अधीन निश्चित मानदेय पर अध्यापन कार्य लिये जाने का निर्णय लिया गया है। विगत 03 वर्षों में अध्ययनरत छात्रों की संख्या को आधार मानते हुए छात्र-शिक्षक अनुपात को ध्यान में रखते हुए ही न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार पदों को भरे जाने की कार्यवाही की जायेगी।

2- इस सम्बन्ध में कुलसचिव, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के पत्र संख्या-कु0 स0 3090/2021 दिनांक 23 सितम्बर, 2021 से प्राप्त सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से सम्बद्ध अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत महाविद्यालयों में रिक्त प्राचार्य एवं शिक्षकों के पदों का वितरण संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
(मनोज कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-1651(1)/सत्तर-1-2021-तदुदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
(1) समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(2) कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
(3) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(राम जन्म चौहान)
अनु सचिव।

उपरोक्त शासनादेश पर विचार-विमर्श के पश्चात् कार्यपरिषद् ने शासन के पत्र संख्या-1651/सत्तर-1-2021-16(87)/2018, दिनांक 22 अक्टूबर, 2021 के अनुसार कार्यवाही किये जाने पर अपनी सहमति प्रदान की।

कार्यक्रम संख्या-5- श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव के पत्रांक ई.5862/जी.एस.,
दिनांक 03 सितम्बर, 2021 पर विचार।

कार्यपरिषद् के समक्ष मा. कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव के अधोलिखित
पत्रांक ई.-5862/जी.एस., दिनांक 03 सितम्बर, 2021 विचारार्थ प्रस्तुत किया गया-

राज्यपाल सचिवालय उत्तर प्रदेश
लखनऊ-226027

पत्रांक ई- 5862 / जी.एस.0
दिनांक : 03, सितम्बर, 2021

प्रेषक,
श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,
कुलाधिपति,
डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

महोदय,

विश्वविद्यालयों के विभिन्न शैक्षणिक पदों पर शीघ्री भर्ती के माध्यम से नियुक्ति हेतु साक्षात्कार में
पारदर्शिता के बारे में मा० कुलाधिपति के आदेश दिनांक 18 मई, 2021 तथा दिनांक 02 जुलाई, 2021 के
बारे में कृपया अपने पत्र संख्या:आ०क०प्रा०वि०/कुप०का०/2021/11957, दिनांक 02 सितम्बर, 2021 का
सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त पत्र में आपके द्वारा निम्न बिन्दु पर मार्गदर्शन मांगा गया है—

..... सहायक आचार्य/सह आचार्य एवं आचार्य अन्तिम चयन :

- "प्रथम चरण-(Basic Academic Score एवं API+लिखित परीक्षा (100+40)/Basic Academic Score एवं API)" तथा "द्वितीय चरण-साक्षात्कार", के दोनों चरणों के अंकों के योग के आधार पर किया जाना है।

अथवा

- "केवल द्वितीय चरण-साक्षात्कार" के आधार पर ही किया जाना है एवं "प्रथम चरण-(Basic Academic Score एवं API+लिखित परीक्षा (100+40)/Basic Academic Score एवं API)" Shortlisting हेतु होगा।"

उपरोक्त जिज्ञासा के क्रम में निम्नवत् स्थिति स्पष्ट की जाती है—

1. आदेश दिनांक 02 जुलाई, 2021 में यह स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है कि सहायक आचार्य/सह आचार्य एवं आचार्य के पद पर चयन की प्रक्रिया के दो चरण होंगे। प्रथम चरण शार्टलिस्टिंग का होगा और दूसरा चरण साक्षात्कार का होगा।

2. पत्र दिनांक 02 जुलाई, 2021 के बिन्दु संख्या-अ के 2, 3 व 4 की व्यवस्था के अनुसार सहायक आचार्य के सन्दर्भ में शार्टलिस्टिंग की प्रक्रिया 140 अंकों के आधार पर होगी। शार्टलिस्टिंग के बारे में आदेश दिनांक 18.05.2021 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार पारदर्शिता की व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उपरोक्तानुसार शार्टलिस्टेड अभ्यर्थियों का शिक्षण कौशल की जानकारी (कम्प्यूटर पर कार्य करने की जानकारी तथा कक्षा के समक्ष प्रस्तुतीकरण) 20 अंकों की तथा साक्षात्कार 10 अंकों का सम्पन्न कराया जायेगा और इस प्रकार 30 अंकों के आधार पर साक्षात्कार की प्रक्रिया सम्पन्न करते हुए इन्हीं 30 अंकों पर आधारित परिणाम घोषित किया जायेगा। इसमें शार्टलिस्टिंग के लिए निर्धारित 140 अंक नहीं जोड़े जायेंगे।
3. पत्र दिनांक 02 जुलाई, 2021 के बिन्दु संख्या-ब के 2, 3 व 4 की व्यवस्था के अनुसार सह आचार्य एवं आचार्य के सन्दर्भ में शार्टलिस्टिंग की प्रक्रिया सम्पन्न होगी। शार्टलिस्टिंग के बारे में आदेश दिनांक 18.05.2021 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार पारदर्शिता की व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उपरोक्तानुसार शार्टलिस्टेड अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 20 अंकों का सम्पन्न कराया जायेगा और इस प्रकार 20 अंकों के आधार पर साक्षात्कार की प्रक्रिया सम्पन्न करते हुए इन्हीं 20 अंकों पर आधारित परिणाम घोषित किया जायेगा। इसमें शार्टलिस्टिंग के लिए निर्धारित अंक नहीं जोड़े जायेंगे।

भवदीय,

(महेश कुमार गुप्ता)
अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल।

प्रतिलिपि कुलपतिगण, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, निदेशक, संजय गहरी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ/निदेशक, डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा० पंकज एल० जानी)
विशेष कार्याधिकारी, शिक्षा श्री राज्यपाल।

उपरोक्त पत्र पर विचार-विमर्श करने के पश्चात् कार्यपरिषद् ने पत्रांक ई.-5862/जी.एस., दिनांक 03 सितम्बर, 2021 में दिये गये निर्देश के अनुसार नियुक्ति सम्बन्धी कार्यवाही करने पर अपनी स्वीकृति प्रदान की।

कार्यक्रम संख्या -6- वित्त समिति की बैठक दिनांक 11.11.2021 की संस्तुतियों पर विचार।

कार्यपरिषद् के समक्ष वित्त समिति की बैठक दिनांक 11.11.2021 में की गयी अधोलिखित संस्तुतियों को प्रस्तुत की गयी-

वित्त समिति की बैठक

दिनांक : 11.11.2021
समय : मध्याह्न 12.00 बजे
स्थान : कुलपति महोदय का कार्यालयीय कक्ष

उपस्थिति

(1)	प्रो० हरेराम त्रिपाठी, कुलपति	—	अध्यक्ष
(2)	डॉ० ज्ञान प्रकाश वर्मा क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी वाराणसी।	—	सदस्य (वर्चुवल उपस्थित)
(3)	श्री राजकुमार शुक्ला, अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन वाराणसी मण्डल, वाराणसी प्रतिनिध	—	सदस्य
(4)	विशेष सचिव, वित्त विभाग उ०प्र० शासन, लखनऊ। प्रो० चोंद किरण सालूजा, निदेशक, संस्कृत सम्बर्धन प्रतिष्ठान, 1104/5, मंदिर मार्ग, घोषाला मार्ग, डोरीवालान, नई दिल्ली-110006,	—	सदस्य (वर्चुवल उपस्थित)
(5)	श्री अमित कुमार श्रीवास्तव वित्त अधिकारी	—	सदस्य-सचिव
(6)	श्री केशलाल प्रतिनिधि कुलसचिव	—	सदस्य
(7)	प्रो० राजनाथ, परीक्षा नियंत्रक	—	सदस्य

कार्यवृत्त

वित्त अधिकारी द्वारा समिति के सदस्यों का स्वागत किया गया।

**कार्यक्रम संख्या 1—
प्रस्तुत प्रस्ताव—**

वित्त समिति की विगत बैठक दिनांक 27.07.2021 के कार्य विवरण की सम्पुष्टि तथा कृत कार्यवाही की सूचना।
वित्त समिति की विगत बैठक दिनांक 27.07.2021 के कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न है। विगत कार्यविवरण की सम्पुष्टि किये जाने का प्रस्ताव तथा कार्यवाही के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वित्त समिति में लिये गये निर्णय के अनुसार अन्य विविध पुरस्कार, अन्य विविध विकास, अन्य विविध छात्रवृत्ति नाम से नया खाता खोला गया। अद्यतन स्थिति निम्नवत है —

क्र०	खाता नाम	कुल संख्या	स्थानान्तरित संख्या	शेष खातों की संख्या
1	अन्य विविध पुरस्कार	6	2	4
2	अन्य विविध विकास	23	2	21
3	अन्य विविध छात्रवृत्ति	14	4	10
4	मेडल खाता	1	1	0
5	सामान्य मद	2	0	2
	योग	46	9	37

गोड़ लेखा के विभिन्न 37 खातों को DEAF Account RBI Mode में आ जाने के कारण अग्रेतर कार्यवाही करने हेतु बैंक को पत्रांक ले० 1023/21 दिनांक 18.08.2021 के माध्यम से निर्देशित किया गया।

विश्वविद्यालयीय छात्रवृत्ति, वसंरी छात्रवृत्ति प्राप्त करने के सम्बन्ध में शासन को पत्र प्रेषित किया गया। शुल्क वृद्धि का कार्यालय ज्ञाप पत्रांक 117/21 दिनांक 19.08.2021 द्वारा प्रसारित किया गया है। श्री सद्गुरु राम सिंह महाराजपीठ के निर्देशक द्वारा मानदेय सहित कतिपय मदों में वृद्धि का प्रस्ताव आज की बैठक में प्रस्तुत किया जा रहा है। सरकारी कार्यों के सुचारु रूप से संचालन के लिये कुलपति, वित्त अधिकारी, कुलसचिव एवं परीक्षा नियंत्रक को 1-1 मोबाईल एवं सिम कार्ड उपलब्ध कराये जाने के निर्णय को वर्तमान में स्थगित रखा गया है।

निर्णय—

**कार्यक्रम संख्या 2—
प्रस्तुत प्रस्ताव —**

कार्य विवरण की सम्पुष्टि की गयी तथा कृत कार्यवाही से समिति अवगत हुई।
एल०एल०एम० विधिशास्त्र स्नातकोत्तर डिप्लोमा, हिन्दू विधिशास्त्र पाठ्यक्रम के शुल्क निर्धारण के परिप्रेक्ष्य में।
उक्त के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय—

**कार्यक्रम संख्या 3—
प्रस्तुत प्रस्ताव —**

प्रस्तुत प्रस्ताव पर शैक्षणिक समिति गठित करने की संस्तुति प्रदान की गयी।
शास्त्री (बी०ए०) योग एवं आचार्य (एम०ए०) योग एवं पी०जी० योग डिप्लोमा पाठ्यक्रम के शुल्क निर्धारण के परिप्रेक्ष्य में विचार।
उक्त के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय—

**कार्यक्रम संख्या 4—
प्रस्तुत प्रस्ताव —**

प्रस्तुत प्रस्ताव में सम्मिलित प्रकरण दिनांक 02.11.2021 के द्वारा विचार किया गया जो बिन्दु 5 पर प्रस्तुत है।
हिन्दू अध्ययन (एम०ए०) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के शुल्क निर्धारण के परिप्रेक्ष्य में विचार।
उक्त के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय—

**कार्यक्रम संख्या 5—
प्रस्तुत प्रस्ताव —**

प्रस्तुत प्रकरण पर अवगत कराया गया कि बिन्दु 5 पर उल्लिखित बिन्दु के समान पाठ्यक्रम एवं शुल्क के निर्धारण के समान ही निर्धारण होना है। उक्त के अनुसार शुल्क रु० 6500/- प्रति सेमेस्टर निर्धारित करने की संस्तुति प्रदान की गई।

निर्णय—

हिन्दू अध्ययन पाठ्यक्रम के शुल्क निर्धारण हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 02.11.2021 द्वारा संस्तुत किये गये शुल्क पर विचार —

(i) चार वर्षीय सेमेस्टर पाठ्यक्रम के लिये संस्तुत शुल्क रु० 5000/- प्रति सेमेस्टर प्रवेशावेदन पत्र हेतु रु० 500/- परीक्षा शुल्क रु० 1000/-

(ii) एक वर्षीय स्नातकोत्तर योग डिप्लोमा पाठ्यक्रम का शुल्क रु० 5000/- प्रति सेमेस्टर, आवेदन पत्र शुल्क रु० 500/- तथा परीक्षा शुल्क रु० 1000/- ।

(iii) शास्त्री/बी०ए०(योग) एवं आचार्य/एम०ए०(योग) पाठ्यक्रम हेतु प्रति सेमेस्टर रु० 6500/- ।

निर्णय—

उक्त के अनुमोदन पर विचार।
प्रस्तुत प्रस्ताव पर संस्तुति प्रदान की गयी।

कार्यक्रम संख्या 6-

श्री सदगुरु रामसिंह जी महाराज पीठ की बैठक दिनांक 27.10.2021 के द्वारा संस्तुत पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किया जाना।

प्रस्तुत प्रस्ताव -

श्री सदगुरु रामसिंह जी महाराज पीठ संचालन समिति की बैठक दिनांक 27.10.2021 को सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित निर्णय लिया गया -

निर्णय-

निदेशिका के वर्तमान मानदेय रु० 18000/- प्रतिमाह में रु० 7000/- की वृद्धि करते हुए रु० 25,000/- प्रतिमाह तथा परिचारक संजय कुमार के वर्तमान पारिश्रमिक रु० 5,000/- प्रतिमाह में रु० 3,000/- की वृद्धि करते हुए रु० 8,000/- प्रतिमाह 01 जुलाई, 2021 से करने का निर्णय लिया गया। 01 जुलाई, 2021 से 31 अक्टूबर, 2021 तक के मानदेय वृद्धि का एरियर अक्टूबर माह के मानदेय का साथ देय होगा। उक्त पर कार्योत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव है।

कार्यक्रम संख्या 7-

प्रस्तुत प्रस्ताव -

निर्णय-

प्रस्तुत प्रस्ताव पर संस्तुति प्रदान की गयी। उक्त के साथ-साथ संचालन समिति की बैठक बिन्दु 1 के अनुसार एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन हेतु अनुमानित व्यय रु० 60000/- (साठ हजार) पर सहमति प्रदान की गयी। श्री सदगुरु राम सिंह जी महाराज पीठ द्वारा धन प्राप्त न होने पर भुगतान स्थगित रखने की संस्तुति की गयी। आगामी शैक्षणिक सत्र 2022-23 हेतु प्रवेश सहित परीक्षा शुल्क आदि में वृद्धि के प्रस्ताव पर विचार।

कार्यक्रम संख्या 8-

उक्त के अनुमोदन पर विचार।
प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार के अनन्तर आगामी शैक्षणिक सत्र 2022-23 हेतु प्रवेश सहित परीक्षा शुल्क आदि में वृद्धि हेतु अधोलिखित समिति का गठन किया गया- 1. प्रो० चोंद किरण सालुजा, निदेशक, संस्कृत सम्वर्धन प्रतिष्ठान, नई दिल्ली 2. समस्त संकायाध्यक्ष 3. परीक्षा नियन्त्रक 4. उपकुलसचिव शैक्षिक 5. सहायक कुलसचिव (लेखा)।
अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषयों पर विचार।

8(i) विश्वविद्यालय परिसर की रिक्त जमीन पर निर्माण ईकाई द्वारा निर्माण कार्य हेतु अधोलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया-

क्र०	परियोजना का विवरण	आगपन मूल्य (रु० लाख में)
1	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय में गेस्ट हाउस का निर्माण कार्य	944.68
2	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय में 300 बेडेड क्षमता के छात्रावास का निर्माण कार्य	1906.62
3	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्र ब्लॉक का निर्माण कार्य	2322.40
4	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय में 750 क्षमता के ऑडिटोरियम हाल का निर्माण कार्य	1993.86
5	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय में बाह्य विकास का कार्य	485.05
6	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय में क्रीड़ा प्रांगण विकास कार्य	3605.11

निर्णय-

प्रस्तुत प्रस्ताव राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की गयी।

8(ii) शुल्क नवीनीकरण समिति की बैठक दिनांक 08.11.2021 की बैठक में अधोलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया -

क्र०	विद्यावारिधि (Ph.D)	वर्तमान	प्रस्तावित
1	कोर्स वर्क शुल्क	25000.00	30000.00
2	पंजीकरण शुल्क	-	2000.00
3	शोधप्रबन्ध परीक्षण शुल्क	10000.00	15000.00
4	कोर्स वर्क एवं प्री सन्निशन आदि प्रमाणपत्रों का प्रतिलिपि शुल्क	-	100.00 प्रति प्रमाण पत्र
पारिश्रमिक			
1	शोधप्रबन्ध परीक्षण	750.00	1500.00
2	मौखिक परीक्षा	600.00	1500.00
3	शोध प्रवेश परीक्षा (प्राश्निक)	-	50.00 प्रति प्रश्न पत्र
4	एम.एड. प्रवेश परीक्षा (प्राश्निक)	-	40.00 प्रति प्रश्न पत्र
5	सहायक आचार्य नियुक्ति हेतु प्रश्नपत्र निर्माण	-	100.00 प्रति प्रश्न पत्र
वाचस्पति (D.Lit)			
1	पंजीकरण शुल्क	5000.00	25000.00
2	शोधप्रबन्ध परीक्षण शुल्क	10000.00	25000.00
पारिश्रमिक			
1	शोधप्रबन्ध परीक्षण	750.00	1500.00
2	मौखिक परीक्षा	600.00	1500.00
एम.डी. / एम.एस.			
1	पंजीकरण आवेदनपत्र मूल्य	500.00	1000.00
2	पंजीकरण शुल्क	2500.00	5000.00
3	शोधप्रबन्ध परीक्षण शुल्क	15000.00	20000.00
पारिश्रमिक			
1	शोधप्रबन्ध मूल्यांकन	-	750.00
2	मौखिक परीक्षा (प्रति छात्र)	-	500.00

विशेष : समस्त शुल्कों में अनु० जाति / जनजाति के छात्रों को 50 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी

(क) विद्यावारिधि, कार्यपरिषद, वित्त समिति की बैठक के लिए सिटिंग चार्ज रु० 2000.00 प्रतिदिन (बाह्य सदस्यो हेतु)

(ख) साक्षात्कार के लिये सिटिंग चार्ज (प्रति बैठक, प्रति विशेषज्ञ, प्रति दिन) रु० 3000.00 न्यूनतम, अधिकतम रु० 5000.00 एक दिन में एकाधिक बैठक में भाग लेने पर।

(ग)सम्बद्धता - सम्बद्धता शुल्क रु० 25000.00 के स्थान पर 50000.00 तथा रु० 10000.00 के स्थान पर रु० 20000.00

समिति ने दिनांक 31.12.2020 तक सम्बद्धता हेतु आवेदन प्रस्तुत करने वाले महाविद्यालय पुरानी दर पर तथा 1.1.2021 से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले पुनरीक्षित दर पर शुल्क जमा करेंगे। यह भी कि पुराने मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों की मान्यता व सम्बद्धता की समीक्षा की जाये तथा सम्बद्धता शुल्क की प्रति पाँच वर्ष में पुनः समीक्षा की जाय।

निर्णय-

उक्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर संस्तुति प्रदान की गयी।

8(iii) कुलपति कैम्प कार्यालय में अत्यावश्यक कार्य हेतु कार्मिको को अतिरिक्त रूप से भुगतान किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी। इस पर E.P.F./E.S.I. का भुगतान नहीं किया जायेगा।

8(iv) लेखानुभाग के दफ्तरी के भत्ते को रु० 50/- के स्थान पर रु० 500/- प्रतिमाह किये जाने की संस्तुत की गयी।

वित्त अधिकारी/सदस्य सचिव
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय
वाराणसी।

विचार-विमर्श के अनन्तर कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मति से वित्त समिति की बैठक दिनांक 11.11.2021 में की गयी संस्तुतियों पर अपनी स्वीकृति प्रदान की।

कार्यक्रम संख्या-7- विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 11.11.2021 की संस्तुतियों पर विचार।

कार्यपरिषद् के समक्ष विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 11.11.2021 में की गयी अधोलिखित संस्तुतियों को प्रस्तुत किया गया-

विद्या परिषद् की बैठक

दिनांक - 11.11.2021
समय अपराह्न - 3:00 बजे से
स्थान - योग साधना केन्द्र

उपस्थिति	
1- प्रो. हरेराम त्रिपाठी, कुलपति- अध्यक्ष	
2- प्रो. महेन्द्र पाण्डेय	3- डा. विजय कुमार पाण्डेय
3- प्रो. सुधाकर मिश्र	5- प्रो. हीरक कान्ति चक्रवर्ती
6- प्रो. अमित कुमार शुक्ल	7- प्रो. राघवेन्द्र जी दूबे
8- प्रो. रामकिशोर त्रिपाठी	9- प्रो. हरिप्रसाद अधिकारी
10- प्रो. शैलेश कुमार मिश्र	11- प्रो. जितेन्द्र कुमार
12- प्रो. रामपूजन पाण्डेय	13- प्रो. प्रेम नारायण सिंह
14- प्रो. हरिशंकर पाण्डेय	15- प्रो. शम्भुनाथ शुक्ल
16- प्रो. विधु द्विवेदी	17- प्रो. राजनाथ
18- प्रो. कमलाकान्त त्रिपाठी	19- डा. दिनेश कुमार गर्ग
20- डा. विद्या कुमारी चन्द्रा	21- डा. रविशंकर पाण्डेय
22- डा. विजय कुमार शर्मा	23- पद्मश्री डॉ. चमू कृष्णशास्त्री
24- प्रो. कृष्णकान्त शर्मा	25- प्रो. ललित कुमार त्रिपाठी (Online)
26 - प्रो. सुदेश शर्मा	27 - प्रो. मुरलीधर शर्मा (Online)
28- कुलसचिव-सचिव	

मंगलाचरण - प्रो. महेन्द्र पाण्डेय

सर्वप्रथम कुलपति महोदय ने विद्यापरिषद् में सहयोजित माननीय सदस्यों पद्मश्री डॉ. चमू कृष्णशास्त्री, प्रो. कृष्णकान्त शर्मा, प्रो. सुदेश शर्मा तथा आन-लाईन माध्यम से परिषद् में उपस्थित मा. सदस्य प्रो. ललित कुमार त्रिपाठी तथा प्रो. मुरलीधर शर्मा का अभिनन्दन करते हुए कहा कि विद्यापरिषद् में सहयोजित माननीय सदस्यगण देश के विभिन्न भागों का प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रतिष्ठित विद्वान् हैं, विद्यापरिषद् में इन विद्वानों की उपस्थिति से विश्वविद्यालय के सम्मान एवं प्रगति में वृद्धि होगी।

कुलपति महोदय के उद्बोधन के पश्चात् माननीय सदस्य पद्मश्री चमू कृष्णशास्त्री ने परिषद् को नवीन शिक्षा नीति एवं उससे संस्कृत के अध्ययन-अध्यापन में होने वाले लाभों के संदर्भ में सदस्यों को अवगत कराया। तत्पश्चात् कुलपति महोदय ने विद्यापरिषद् की कार्यवाही प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की।

कार्यक्रम संख्या -1- विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 26.07.2021 की कार्यवाही की पुष्टि।

विचार-विमर्श के अनन्तर विद्या परिषद् ने परिषद् की विगत बैठक दिनांक 26.07.2021 की सम्पुष्टि की।

कार्यक्रम संख्या -2- विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 26.07.2021 में लिये गये निर्णयों के क्रियान्वयन की सूचना।

विद्यापरिषद् ने विगत बैठक दिनांक 26.07.2021 में लिये गये निर्णयों के क्रियावयन के सन्दर्भ में प्रस्तुत सूचना पर विचार करते हुए परिषद् ने समस्त संकायों से प्राप्त पाठ्यक्रम को नयी शिक्षा नीति के अनुरूप करने के लिए एक बार और समीक्षा एवं परिष्कृत करने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया। तत्पश्चात् परिषद् अन्य क्रियावयन रिपोर्ट से अवगत हो कृत कार्यवाही पर अपनी स्वीकृति प्रदान की।

कार्यक्रम संख्या -3- एल.एल.एम. विधिशास्त्र स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम निर्माण (हिन्दू विधिशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में) करने पर विचार।

20. Change and continuity in Indian Religion, J. Ganola, London, 1968.
21. Dual Deities in the Religion of the Veda, J. Ganola, London, 1974.
22. Ethnohistory of India to the Gods of the Rigveda, Shivanak, P. Rajendra Lal Mitra, 1991.
23. Sacrifice in the Rigveda, Poddar K. H., Bharatya Vidya Bhawan, Bombay, 1955.
24. The Vedic Ethnology, Fakhri Singh, Kota 1962.
25. Vedic Studies Vol. 1, A. Mahal Subrah, Mysore, 1962.
26. Rigveda Culture, A. C. Das, Cosmo Publications India, Calcutta, 2003.
27. Communication with God, G. C. Tripathi, New Delhi, 2005.
28. Vedic Religion, K. Chattopadhyaya, Dept. of Philosophy and Religion, BHU, Varanasi.

COURSE VII - PRINCIPLES IVB : जैन परम्परा के सिद्धान्त

(वैकल्पिक)
पूर्णांक : 100 (80+20)
अंक-10

इकाई-1 : जैन मौलिकी का इतिहास

- (i) मौलिकी परम्परा
- (ii) आदिनादर
- (iii) सार्वभौमिक
- (iv) महादीर्घ

इकाई-2 : जैन लक्ष्यनीतिशास्त्र

- (i) स्वतन्त्र तथा आत्म स्वतन्त्र
- (ii) जीव
- (iii) जीवित - ईश्वरप्राप्त (अध्यात्मिक)
- (iv) सम्बन्धदर्शन

इकाई-3 : जैन ज्ञाननीतिशास्त्र

- (i) साधक ज्ञान
- (ii) साधक ज्ञान
- (iii) परीक्षा ज्ञान
- (iv) अज्ञान ज्ञान

इकाई-4 : जैन ज्ञान (सर्वज्ञता) प्रमुख सिद्धान्त

- (i) आशय, शरीर
- (ii) चिन्तन, शब्द, भाव
- (iii) अनैकान्तवाद
- (iv) स्वतन्त्रता

इकाई-5 : जैन आधार नीतिशास्त्र

- (i) जैनसाधकशास्त्र
- (ii) जैनपरम्पराशास्त्र

आन्तरिकपुस्तकालय

संबन्धित पाठ्यपुस्तकसूची-

1. जैन दर्शन का दर्शन और नीतिशास्त्र, आचार्य महाशय, जैन विश्वविद्यालय, जयपुर, (संस्कृत भाषा में) अष्टम संस्करण, 1988
2. जैन दर्शन का दर्शन आचार्य जैन विश्वविद्यालय, जयपुर, (संस्कृत भाषा में) अष्टम संस्करण, 1988
3. जैन दर्शन का दर्शन आचार्य जैन विश्वविद्यालय, जयपुर, (संस्कृत भाषा में) अष्टम संस्करण, 1988
4. जैन दर्शन का दर्शन आचार्य जैन विश्वविद्यालय, जयपुर, (संस्कृत भाषा में) अष्टम संस्करण, 1988
5. जैन दर्शन का दर्शन आचार्य जैन विश्वविद्यालय, जयपुर, (संस्कृत भाषा में) अष्टम संस्करण, 1988
6. जैन दर्शन का दर्शन आचार्य जैन विश्वविद्यालय, जयपुर, (संस्कृत भाषा में) अष्टम संस्करण, 1988
7. जैन दर्शन का दर्शन आचार्य जैन विश्वविद्यालय, जयपुर, (संस्कृत भाषा में) अष्टम संस्करण, 1988
8. जैन दर्शन का दर्शन आचार्य जैन विश्वविद्यालय, जयपुर, (संस्कृत भाषा में) अष्टम संस्करण, 1988
9. जैन दर्शन का दर्शन आचार्य जैन विश्वविद्यालय, जयपुर, (संस्कृत भाषा में) अष्टम संस्करण, 1988
10. जैन दर्शन का दर्शन आचार्य जैन विश्वविद्यालय, जयपुर, (संस्कृत भाषा में) अष्टम संस्करण, 1988

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

COURSE VII - PRINCIPLES IVC : बौद्ध परम्परा के सिद्धान्त

(वैकल्पिक)
पूर्णांक : 100 (70+30)
अंक-10

इकाई-1

बुद्ध की भौतिक शिक्षाएं- चार आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग, सत्ता के तीन स्तर, त्रिक विहार, प्रतीत्यसमुत्पाद।

इकाई-2

विद्यालय, आत्मनिर्वाण, शील, समाधि और प्रज्ञा, पुण्यजन और कर्म सिद्धान्त विषयक आरम्भिक बौद्ध सम्प्रदाय।

इकाई-3

बौद्ध-धर्म के सम्प्रदाय- महायान, वैशालिका, श्रीलंकिक, आदि।

इकाई-4

सांस्कृतिक (सुन्दरवाद), योगशास्त्र (विज्ञानवाद)।

इकाई-5

अर्थ और नीतिशास्त्र के अन्तर्गत स्वल्प का परिचय, पूर्णता का सिद्धान्त, त्रिकाय सिद्धान्त।

आन्तरिकपुस्तकालय

संबन्धित पाठ्यपुस्तकसूची-

1. बौद्ध धर्म एवं दर्शन, आचार्य महेश्वर जी, भौतिकशास्त्र महाविद्यालय, नई दिल्ली, 1964।
2. What the Buddha Taught, Rahul Walpole, Reprint, London, 2007.
3. Buddhist Thought in India, Corea, E., Delhi, 1996.
4. Kalupahana, G.J., Buddhist Philosophy: A Historical Analysis, Hawaii, 1976.
5. Kalupahana, G.J., The Principles of Buddhist Philosophy, Delhi, 1992.
6. Murti, T.R.V., The Central Philosophy of Buddhism, London, 1978.
7. Murti, T.R.V., Studies in Indian Thought, Delhi, 1970.
8. Chatterjee, A.K., The Vedānta Idealism, Delhi, 1975.
9. Soterbatsky, Th., Central Conception of Buddhism, London, 1923.
10. Mukerjee, S., Buddhist Philosophy of Universal Flux, Calcutta, 1935.
11. Singh, Indra Narain, Philosophy of University Flux in Theravāda Buddhism, Vidyanidhi Prakashan, Delhi, 2002.

COURSE VIII- LANGUAGE IIA: वेदांग- शिवा, व्याकरण, निरुक्त एवं

(वैकल्पिक)
पूर्णांक : 100 (80+20)
अंक-10

इकाई-1 : शिवा -

1. मूलतः शिवा का स्वरूप।
2. शिवा का सर्वोत्कर्षण।
3. वेद की विभिन्न शाखाओं के अनुसार विभिन्न शिवा प्रथम।
4. शिवा का स्वभाव और स्वरूप।
5. शिवा एवं प्रातिपदिक का अन्तर्सम्बन्ध।

इकाई-2 : व्याकरण-

1. वेदांग में व्याकरण शास्त्र की उत्पत्ति।
2. व्याकरण शास्त्र का प्रयोजन।
3. व्याकरण शास्त्र की प्रचीन एवं नव्य परम्परा।
4. व्याकरण शास्त्र के अनुसार प्रकृति और प्रथम का विवेचन।
5. व्याकरण शास्त्र के द्वारा सुभक्त, शिवा, आशय एवं समास शब्दों का व्युत्पन्न।

इकाई-3 : निरुक्त-

1. निरुक्त शास्त्र का स्वरूप एवं प्रयोजन।
2. वेदांगीयवेदों में निरुक्त शास्त्र का योगदान।
3. निरुक्त के अनुसार शब्दनिर्माण प्रकार।
4. निरुक्त के अनुसार शब्दों का अर्थ।
5. निरुक्तानुसार वेदांगीय स्वरूप शिवा।

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

- (व) लोकविश्वकोश, प्रकृत-अपराधमूल विचार, भूत-प्रेत तथा जादू-टोना इत्यादि
 - (ख) सामाजिक नियम, आचार-व्यवहार पद्धति
- इकाई-6 : ज्ञान-विज्ञान एवं कीर्तन-**
- (अ) प्रत्यक्ष प्रकृति दर्शन
 - (ब) गौरव विज्ञान, श्रुति तथा वेदगत विविधता।
 - (स) लोकसाधना, लोकसाधक, धर्मशास्त्री, लोककलाएँ, श्रुति एवं विधि अर्थकारण।

अंक-18

अंक-20

आन्तरिकमूल्यांकन

- संस्तुत पाठ्यसामग्री-**
1. समाजशास्त्री, अन्वयान्तर शील, विनोद सागर प्रेस, मुम्बई, 1923।
 2. भारतीय अर्थशास्त्री (द्वितीय संस्करण) और सामाजिक मुद्राशास्त्री, उदित प्रसाद मिश्राजी, हिन्दी समिति, अजमेर प्रकाशनालय, जयपुर, 1979।
 3. लोक साहित्य विज्ञान, बालकृष्ण, शिवगण अकादमी पुस्तकालय, अजमेर, द्वितीय संस्करण, 2012।
 4. लोक साहित्य की श्रुतिका, सुभाषचंद्र प्रकाशना, जैन भारती प्रकाशन, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, 2019।
 5. लोक साहित्य की श्रुतिका, सुभाषचंद्र प्रकाशना, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, 2019।
 6. इन्डियन लोक-वेल्थ, सरला साहित्य भवन, रत्नाकरन विभागी, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, 2017।
 7. भारतीय दर्शन की श्रुतिका, अन्वयान्तर शील, विनोद सागर प्रेस, मुम्बई, प्रथम संस्करण, 2017।
 8. अर्थ प्रदीप की श्रुतिका, अन्वयान्तर शील, विनोद सागर प्रेस, मुम्बई, प्रथम संस्करण, 1987।
 9. लोक में भारत की अन्वयान्तरिका, अन्वयान्तर शील, विनोद सागर प्रेस, मुम्बई, प्रथम संस्करण, 1988।
 10. लोक और भारत की अन्वयान्तरिका, अन्वयान्तर शील, विनोद सागर प्रेस, मुम्बई, प्रथम संस्करण, 1988।
 11. लोक और भारत की अन्वयान्तरिका, अन्वयान्तर शील, विनोद सागर प्रेस, मुम्बई, प्रथम संस्करण, 1988।
 12. लोक और भारत की अन्वयान्तरिका, अन्वयान्तर शील, विनोद सागर प्रेस, मुम्बई, प्रथम संस्करण, 1988।
 13. लोक और भारत की अन्वयान्तरिका, अन्वयान्तर शील, विनोद सागर प्रेस, मुम्बई, प्रथम संस्करण, 1988।
 14. लोक और भारत की अन्वयान्तरिका, अन्वयान्तर शील, विनोद सागर प्रेस, मुम्बई, प्रथम संस्करण, 1988।
 15. लोक और भारत की अन्वयान्तरिका, अन्वयान्तर शील, विनोद सागर प्रेस, मुम्बई, प्रथम संस्करण, 1988।
 16. लोक और भारत की अन्वयान्तरिका, अन्वयान्तर शील, विनोद सागर प्रेस, मुम्बई, प्रथम संस्करण, 1988।
 17. लोक और भारत की अन्वयान्तरिका, अन्वयान्तर शील, विनोद सागर प्रेस, मुम्बई, प्रथम संस्करण, 1988।
 18. लोक और भारत की अन्वयान्तरिका, अन्वयान्तर शील, विनोद सागर प्रेस, मुम्बई, प्रथम संस्करण, 1988।
 19. लोक और भारत की अन्वयान्तरिका, अन्वयान्तर शील, विनोद सागर प्रेस, मुम्बई, प्रथम संस्करण, 1988।

COURSE XI – DISCIPLINE III : भारतीय नीतिशास्त्र

(विकल्पिक)
पूर्णांक : 100 (80+20)

- इकाई-1 :**
- (1) आधारशास्त्र का इतिहास और स्वरूप। (मनु, याज्ञवल्क्य, महाभारत, श्रीमद्भागवद्गीता-17 अध्याय)
- इकाई-2 :**
- (1) नैतिक शिक्षाओं के विभिन्न रूप- प्रभुसम्भित, सुहृत्सम्भित एवं कान्वासम्भित उपदेश।
 - (2) समाज धर्म के आधारभूत नैतिक सिद्धांत : (स्वामीविवेकानन्द, अरविन्दो, दयानन्द, गोंदी, महात्माजी)
- इकाई-3 :**
- (1) नीति ज्ञान के उद्देश तथा साधन।
 - (2) नैतिक चेतना का विकास : मानवीय मूल्य का आधार और आत्मनिश्चित मूल्य (सायबिकस विद्यापीठ)।
 - (3) नैतिक नैतिक सम्प्रदाय- श्रुत तथा अश्रुत, व्याध तथा अन्वय, पुण्य तथा पाप, अधिकार तथा कर्तव्य।
 - (4) नैतिक निर्णय (द्विती तथा जासुरी, सत्य- श्रीमद्भागवद्गीता)।
- इकाई-4 :**
- (1) ज्ञान की अन्वयान्तरिका।
 - (2) कर्तव्यशास्त्र, संकल्पशास्त्र का सिद्धांत, कर्तव्यवाद (श्रीमद्भागवद्गीता)।
 - (3) पुण्यकर्तव्यसूक्त (महाभारत)।

अंक-18

अंक-18

अंक-18

अंक-18

Handwritten signatures and dates (9.11.21) are present over the course XI section.

- (व) व्यावहारिक विद्यायाः, घरक तथा सुश्रुत संज्ञिता ये।

आन्तरिकमूल्यांकन

- संस्तुत पाठ्यसामग्री-**
1. समाजशास्त्री (भाग 1 व 4), समाजशास्त्र विभागी, वेल्थ अकादमी अन्वयान्तर शील, अजमेर-श्रीमद्भागवद्गीता, अन्वयान्तर शील, विनोद सागर प्रेस, मुम्बई, 1979।
 2. अर्थशास्त्र, भारतीय नीति-शास्त्र का इतिहास, हिन्दी समिति, जयपुर, प्रथम संस्करण, 1984।
 3. अर्थशास्त्र विधि : अन्वयान्तर शील एवं अन्वयान्तर शील, न्यू भारतीय बुक कॉन्फिडेंस, दिल्ली, 2009।
 4. विनोद सागर प्रेस, नौका साधना, दिल्ली-अन्वयान्तर शील, अजमेर, 2014।
 5. महाभारत-वेदशास्त्र, अन्वयान्तर शील, श्रीमद्भागवद्गीता अन्वयान्तर शील, अजमेर, प्रथम संस्करण, 1988।
 6. श्रीमद्भागवद्गीता, श्रीमद्भागवद्गीता अन्वयान्तर शील, अजमेर, प्रथम संस्करण, 1988।
 7. अन्वयान्तर शील, श्रीमद्भागवद्गीता अन्वयान्तर शील, अजमेर, प्रथम संस्करण, 1988।
 8. अन्वयान्तर शील, श्रीमद्भागवद्गीता अन्वयान्तर शील, अजमेर, प्रथम संस्करण, 1988।
 9. अन्वयान्तर शील, श्रीमद्भागवद्गीता अन्वयान्तर शील, अजमेर, प्रथम संस्करण, 1988।
 10. अन्वयान्तर शील, श्रीमद्भागवद्गीता अन्वयान्तर शील, अजमेर, प्रथम संस्करण, 1988।
 11. अन्वयान्तर शील, श्रीमद्भागवद्गीता अन्वयान्तर शील, अजमेर, प्रथम संस्करण, 1988।
 12. अन्वयान्तर शील, श्रीमद्भागवद्गीता अन्वयान्तर शील, अजमेर, प्रथम संस्करण, 1988।
 13. Rishi Datta Sharma and Indira Nayal, Dharmashāstra, Mahabodhi Book Agency with Anandpur University, 2009.
 14. Dikshit Gupta, Dharmashāstra, Rajya Siksha Parishad, 2007.
 15. Sankar Kumar Bhattacharya, Vedic Ethics, Allied Publishers, 2000.
 16. Anita Chatterjee, Dharmashāstra, Jadavpur University Press, 2013.
 17. N. K. Brahma, Philosophy of the Hindu Sastras, London, 1934.
 18. Saranya Dasgupta, Development of Moral Philosophy in India, Munshiram Manoharlal Publishers, New Delhi, 1984.
 19. Social Philosophy, A Treatise of Hindu Philosophy, Munshiram Manoharlal Publishers, Delhi, 1989.
 20. G. K. Mehta, Ethics and Dharma, Oxford University Press, Oxford, 2002.
 21. Shriani S. Chakravarti, Ethics of the Mahabharata, Munshiram Manoharlal Publishers, Delhi 2005.
 22. Swami Vivekananda : Practical Vedanta, Calcutta : Adalita Ashrama, 1964 Sri Aurobindo : The Life Divine
 23. अन्वयान्तर शील, श्रीमद्भागवद्गीता अन्वयान्तर शील, अजमेर, प्रथम संस्करण, 1988।

अंक-20

Handwritten signatures and dates (9.11.21) are present over the course XII section.

COURSE XII – DISCIPLINE IIIA : नाट्य

(विकल्पिक)
पूर्णांक : 100 (80+20)

- इकाई-1 :**
- (अ) भरतमुनि का नाट्यशास्त्र : महत्त्व एवं संरचना।
 - (ब) नाट्य का उद्भव, स्वरूप और महत्त्व।
 - (स) प्रस्तावक।
- इकाई-2 :**
- (अ) कथन और अंगहस्त, संस्तुत नाटक के प्राथमिक रूप (पुनर्विषय)।
 - (ब) रस, भाव, अभिनेय- अभिनेता तथा नाटिक (नाटक के संवाद तथा अन्वय प्रकृति)।
 - (स) नाटिका (अभिनेय का नाट्यपूर्ण पक्ष) अंगहस्त (राजशास्त्र, पद्यात्मक, अन्वयान्तर शील निर्माण तथा उपयोग)।
- इकाई-3 :**
- (अ) नाट्यशास्त्र और नाट्य संरचना (स्वरूप और संरचना), धर्म, संरचना प्रस्तुतीकरण के विभिन्न प्रकार, श्रुति (संस्कृत), अश्रुति (संस्कृत)।
 - (ब) रस, अन्वय (संस्कृत) और श्रुति।

अंक-18

अंक-18

अंक-18

Handwritten signatures and dates (9.11.21) are present over the course XII section.

कार्यक्रम संख्या -5- परीक्षा समिति की संस्तुति दिनांक 26.08.2021 के प्रस्ताव सं. 32- श्रीमती प्रियंका सिंह की शास्त्री उपाधि एवं परीक्षा समिति की संस्तुति दिनांक 28.10.2021 के प्रस्ताव सं.2-अनुक्रमांक 21321601 के परीक्षाफल निरस्तीकरण पर विचार।

विद्यापरिषद् के समक्ष परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 26.08.2021 एवं 28.10.2021 की अधोलिखित संस्तुति प्रस्तुत की गयी।

परीक्षा समिति दिनांक 26.08.2021 का निर्णय

प्रस्ताव 32- अयगत कराना है कि श्रीमती प्रियंका सिंह ने वर्ष 2009 में अनुक्रमांक 749006 से शास्त्री प्रथम, वर्ष 2010 में अनुक्रमांक 112798 से शास्त्री द्वितीय तथा वर्ष 2011 में अनुक्रमांक 331234 से शास्त्री तृतीय की परीक्षा उत्तीर्ण की है। श्रीमती प्रियंका सिंह की उत्तीर्णता के सम्बन्ध में श्री अशोक कुमार सिंह ने राजभवन के साथ ही माननीय उच्च न्यायालय में साचिका संख्या 12532/20 रा बगैर प्रवेश अर्हता के अवैधानिक रूप से प्राप्त शास्त्री उपाधि निरस्त करने की शिकायत किया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.12.2020 के अनुपालन में श्रीमती सिंह को अपने इण्टरमीडिएट परीक्षा के अंकपत्र व प्रमाणपत्र के साथ परीक्षा नियंत्रक के समक्ष उपस्थित होने का पत्र प्रेषित किया गया। जिसके क्रम में श्रीमती सिंह दिनांक 18.02.2021 को परीक्षा नियंत्रक के समक्ष उपस्थित होकर अपने इण्टरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2002 अनुक्रमांक 0508951 के प्रस्तुत मूल अंकपत्र एवं प्रमाणपत्र के सम्बन्ध में लिखित रूप से अपना अभियोग प्रस्तुत की है। जिसके आलोक में श्रीमती प्रियंका सिंह पर बगैर शास्त्री में प्रवेश अर्हता के ही शास्त्री प्रथम में प्रवेश लेकर शास्त्री तीनों खण्ड की परीक्षा उत्तीर्ण कर उपाधि प्राप्त करने की पुष्टि होती है क्योंकि शास्त्री प्रथम में प्रवेश के लिए आधारभूत इण्टरमीडिएट परीक्षा में श्रीमती सिंह का विषय हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी, भारतीय इतिहास, गृहविज्ञान, समाजशास्त्र है, जिसमें संस्कृत विषय नहीं है। संस्कृत विषय के साथ इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण होना निर्धारित अनिवार्य प्रवेश अर्हता है।

अतः उपर्युक्त के आधार पर शिकायतकर्ता श्री अशोक कुमार सिंह के शिकायत की पुष्टि होने व राजभवन तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण निस्तारण के लिये दिये गये आदेश के आलोक में श्रीमती प्रियंका सिंह द्वारा बगैर प्रवेश अर्हता के प्राप्त शास्त्री उपाधि को निरस्त करने हेतु प्रकरण परीक्षा समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय-उपर्युक्त प्रस्ताव के साथ समस्त सम्बन्धित पत्रों की पत्रावली समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसके अनन्तर समिति ने श्रीमती प्रियंका सिंह के विरुद्ध की गयी शिकायत, के सम्बन्ध में श्रीमती सिंह को विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित पत्रों, सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा दी गयी एतदर्थ आख्या, तथा श्रीमती सिंह द्वारा प्रस्तुत बिना संस्कृत विषय से उत्तीर्ण इण्टरमीडिएट परीक्षा के अंकपत्र/प्रमाणपत्र के साथ लिखित स्वीकारोक्ति बयान एवं महामहिम श्री राज्यपाल व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के आलोक में समिति ने सम्यक रूप से व्यापक विचार-विमर्श के अनन्तर सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि श्रीमती सिंह के इण्टरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2002 अनुक्रमांक 0508951 के अंकपत्र/प्रमाणपत्र पर संस्कृत विषय का अंकन नहीं है, जिससे प्रमाणित होता है कि श्रीमती सिंह द्वारा बिना प्रवेश अर्हता के ही शास्त्री उपाधि प्राप्त किया गया है। अतः बिना प्रवेश अर्हता के उत्तीर्ण शास्त्री प्रथम वर्ष 2009 अनुक्रमांक 749006 शास्त्री द्वितीय वर्ष 2010 अनुक्रमांक 112798 तथा शास्त्री तृतीय वर्ष 2011 अनुक्रमांक 331234 से उत्तीर्ण परीक्षा एवं उपाधि निरस्त किया जाता है। तथा निर्देश दिया जाता है कि अन्य प्राधिकारियों से एतदर्थ अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

परीक्षा समिति दिनांक 28.10.2021

प्रस्ताव 02-2021 वर्षीय शास्त्री तृतीय के परीक्षाफल प्रकाशन के पश्चात संज्ञान में आया कि अनुक्रमांक 21321601 के छात्र जिसका विषय नव्यव्याकरण व नेपाली है का, परीक्षाफल अवैधानिकरूप से पूर्ण कराया गया है। जिसके परीक्षाफल निरस्तीकरण पर विचार।

निर्णय-उपर्युक्त प्रस्ताव से प्रस्तुत प्रकरण से सम्बन्धित तीनों परीक्षकों से मांगी गयी आख्या के सापेक्ष प्राप्त आख्या को आधार मानकर लिये गये निर्णय का विवरण अधोलिखित है-

1	<p align="center">स्पष्टीकरण का पत्र</p> <p>2021 वर्षीय परीक्षा में परीक्षक संख्या 615/03 तथा 616/3 से शास्त्री तृतीय के तृतीय पत्र व चतुर्थ पत्र नव्यव्याकरण विषय के बण्डल संख्या-12-12 की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन आपके द्वारा किया गया है। मूल्यांकन हेतु आपको दिये गये बण्डल की उत्तरपुस्तिकाओं के अतिरिक्त आपने अनुक्रमांक 21321601 की उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन कर अंकचिट में अंक प्रदान किया है, जबकि मूल्यांकन हेतु दिये गये डाकेट में अनुक्रमांक 21321601 का उल्लेख ही नहीं था।</p>	<p align="center">प्राप्त आख्या-</p> <p>डॉ० मिश्र ने अपने पत्र 28.10.2021 के द्वारा सूचित किया है कि सम्प्रति वे जनपद से बाहर हैं 31 अक्टूबर के बाद आख्या प्रस्तुत करेंगे।</p>	<p align="center">परीक्षा समिति का निर्णय-</p> <p>परीक्षा समिति ने उक्त तीनों प्राप्त आख्या व परीक्षाफल पूर्णता के लिये किये गये कदाचार सम्बन्धी कार्य के आलोक में समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि परीक्षा के सम्बन्ध में निर्णय बाद में लिया जायेगा सम्प्रति शास्त्री तृतीय वर्ष 2021 अनुक्रमांक 21321601 का परीक्षाफल निरस्त किया जाय तथा परीक्षाफल निरस्तीकरण का अनुमोदन विद्या परिषद एवं कार्यपरिषद से करा लिया जाय।</p>
2	<p align="center">स्पष्टीकरण का पत्र</p> <p>2021 वर्षीय परीक्षा में परीक्षक संख्या 733 तथा 734 से शास्त्री तृतीय के पंचम व षष्ठ पत्र नेपाली विषय के बण्डल संख्या-01-01 की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन आपके द्वारा किया गया है। मूल्यांकन हेतु आपको दिये गये बण्डल की उत्तरपुस्तिकाओं के अतिरिक्त आपने अनुक्रमांक 21321601 की उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन कर अंकचिट में अंक प्रदान किया गया है, जबकि मूल्यांकन हेतु दिये गये डाकेट में अनुक्रमांक 21321601 का उल्लेख ही नहीं था।</p>	<p align="center">प्राप्त आख्या-</p> <p>श्री रिजाल ने अपने पत्र 26.10.2021 के द्वारा सूचित किया है कि मेरे द्वारा यह मानवीय भूलवश हुआ है, जानबूझ कर नहीं किया गया है। कृपया मुझे एतदर्थ क्षमा किया जाय।</p>	
3	<p align="center">स्पष्टीकरण का पत्र</p> <p>2021 वर्षीय परीक्षा में परीक्षक संख्या 613/01 से शास्त्री तृतीय के तृतीय पत्र नव्यव्याकरण विषय के बण्डल संख्या-12 की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन आपके द्वारा किया गया है। मूल्यांकन हेतु आपको दिये गये बण्डल की उत्तरपुस्तिकाओं के अतिरिक्त आपने अनुक्रमांक 21321601 की उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन कर अंकचिट में अंक प्रदान किया गया है, जबकि मूल्यांकन हेतु दिये गये डाकेट में अनुक्रमांक 21321601 का उल्लेख ही नहीं था।</p>	<p align="center">प्राप्त आख्या-</p> <p>श्री रिजाल ने अपने पत्र 26.10.2021 के द्वारा सूचित किया है कि मेरे द्वारा यह मानवीय भूलवश हुआ है, जानबूझ कर नहीं किया गया है। कृपया मुझे एतदर्थ क्षमा किया जाय।</p>	

परीक्षा समिति की उपर्युक्त संस्तुतियों पर विचार करते हुए विद्यापरिषद् ने परीक्षा समिति की संस्तुति को परिनियमित व्यवस्था के अनुसार अपनी स्वीकृति प्रदान की।

कार्यक्रम संख्या -6- विश्वविद्यालय में अध्यापकों के नियुक्ति सम्बन्धी नियुक्तियों में पारदर्शितापत्र पर विचार।

विद्यापरिषद् के समक्ष विश्वविद्यालय में विभिन्न शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति हेतु साक्षात्कार में पारदर्शिता के उद्देश्य से मा. कुलाधिपति महोदय के आदेश सं.3019/32-जी.एस./2020, दिनांक 18 मई, 2021 सं.ई.4249/जी.एस., दिनांक 2 जुलाई, 2021 एवं तत्सम्बन्धित पत्र सं.ई.5862/जी.एस., दिनांक 3 सितम्बर, 2021 को प्रस्तुत किया गया-

- 2) लक्ष्यसहित उच्च स्तरीय द्वारा साक्षात्कार की प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी और लक्ष्यकार के पुरस्च वगैरे परिणाम वगैरे लिफाफे में कुलपति को भेजा दिया जायेगा।
- 10) Teaching Skills एवं लक्ष्यकार की रचना की आइटम एवं लक्ष्यीय रिजल्टिंग की व गैरी आदि इसे कम से कम हर महीने सुदृष्टित रखने का बंधित कर्तव्यो का होगा।

ब- सेंट आचार्य एवं आचार्य

- 1) सह आचार्य एवं आचार्य के पदों पर लोगों को हेतु नियुक्त विद्यो के नियमानुसार गुणांकन होगा।

(i)	स्नातक/स्नातकोत्तर/एम.फिल. एवं सम्बुल डिग्री के आधार पर वैशिक अकादमिक स्कोर (Basic Academic Score)	20 अंक
(ii)	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित व्यवस्था अनुसार एम्प्लॉयमेंट स्कॉर (निकटिया/जीपे शिक्षा/प्रतिबंधक शिक्षा आदि) विश्वविद्यालयों के तदर्थ में प्राथमिक विश्वविद्यालय की नियमक सभ्य द्वारा निर्धारित व्यवस्था अनुसार एम्प्लॉयमेंट स्कोर की गणना की जायेगी। यदि नियुक्त संस्था द्वारा कोई निर्देश नहीं है तो उक्त दस्तावेज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित व्यवस्था सभ्य होगी।	60 अंक
(iii)	सम्बन्धित	20 अंक
पूर्णांक		100 अंक

- 2) प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया जायेगा जो कि समस्त प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच तथा उसके मागित विवरण के अनुसार Basic Academic Scores एवं A.M. Score की गणना सुनिश्चित करेगी। इस समिति को "सर्चिंग समिति" (Scrutiny Committee) की जायेगी।
- 3) वैशिक अकादमिक स्कोर (Basic Academic Score) की गणना संलग्नक - 4 के अनुसार होगी।
- 4) सभी प्रकार के पत्राचार Basic Academic Scores तथा A.M. Score को इनकी गणना करते मुक्त प्रकाशित किया जायेगा और इनके सफल से आपत्तियों जानियत की लयेगी। आपत्तियाँ प्राप्त करने हेतु 07 दिन का समय दिया जायेगा। सभी आपत्तियों ई-मेल के माध्यम से प्राप्त की जायेगी। तब इसके लिए रिक्त पदों के विज्ञापन के समय ही एक ई-मेल आईडी सुनिश्चित की जायेगी। निर्धारित अवधि में कोई किसी अन्यथा की कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो तत्काल निराकरण करके सम्बन्धित पूर्णांक प्रकाशित किया जायेगा। यह कार्य "सहीदा समिति" द्वारा निष्पादित किया जायेगा।
- 5) Basic Academic Scores तथा A.M. Score के सम्बन्धित स्कोर के आधार पर विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक द्वारा एक वेरिफाई किया जायेगी।
- 6) विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक द्वारा एक वेरिफाई निरस्त से सम्बन्धित रिजल्टों के सम्बन्ध एक पत्र अनु अधिकारता या पूर्ण वेरिफाई करके एक प्रत्येक पत्र हेतु अधिकतम 5 गुण आवासीयों को लीनता वेरिफाई करके एक पत्र पर अतिरिक्त वेरिफाई की जायेगी। अधिकतम अधिकारियों को विद्या शिक्षण पर साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा।
- 7) उच्च स्तरीय द्वारा साक्षात्कार की प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी और लक्ष्यकार के पुरस्च वगैरे परिणाम वगैरे लिफाफे में कुलपति को भेजा दिया जायेगा।

3 | 6 पृष्ठ

- 8) लक्ष्यकार की प्रक्रिया की उपदेश एवं लक्ष्यीय रिजल्टिंग की प्रक्रिया को इस दस्तावेज में कम से कम हर महीने सुदृष्टित रखने का बंधित कर्तव्यो का होगा।

सभी विश्वविद्यालय एवं सह विश्वविद्यालय करके कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (इन्स्टीट्यूट), सेंट्रल काउंसिल आफ इण्डिया (इन्स्टीट्यूट्स), राज्य इन्स्टीट्यूट काउंसिल एवं लीनकर एम्प्लॉयमेंट (एम्प्लॉयमेंट्स), इन्स्टीट्यूट काउंसिल कर एम्प्लॉयमेंट रिजल्ट (एम्प्लॉयमेंट्स), रिजल्टिंग काउंसिल आफ इण्डिया (इन्स्टीट्यूट्स) जगि रिजल्ट नियामक संस्थाएँ (Regulatory Bodies) को विद्या निर्देश/नियमों का साक्षात्कार एवं इति मत्र तथा रिजल्ट प्रदर्शन प्रकाशित करवाये जायेगी।

Dr. Anandiben Patel
(आनंदीबेन पटेल)
कुलाधिपति

2. पत्र दिनांक 02 जुलाई, 2021 के बिन्दु संख्या-अ के 2, 3 व 4 की व्यवस्था के अनुसार सहायक आचार्य के सन्दर्भ में शार्टलिस्टिंग की प्रक्रिया 140 अंकों के आधार पर होगी। शार्टलिस्टिंग के बारे में आदेश दिनांक 18.05.2021 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार पारदर्शिता की व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उपरोक्तानुसार शार्टलिस्टेड अभ्यर्थियों का शिक्षण कौशल की जानकारी (कम्प्यूटर पर कार्य करने की जानकारी तथा कक्षा के समक्ष प्रस्तुतीकरण) 20 अंकों की तथा साक्षात्कार 10 अंकों का सम्पन्न कराया जायेगा और इस प्रकार 30 अंकों के आधार पर साक्षात्कार की प्रक्रिया सम्पन्न करते हुए इन्हीं 30 अंकों पर आधारित परिणाम घोषित किया जायेगा। इसमें शार्टलिस्टिंग के लिए निर्धारित 140 अंक नहीं जोड़े जायेंगे।
3. पत्र दिनांक 02 जुलाई, 2021 के बिन्दु संख्या-ब के 2, 3 व 4 की व्यवस्था के अनुसार सह आचार्य एवं आचार्य के सन्दर्भ में शार्टलिस्टिंग की प्रक्रिया सम्पन्न होगी। शार्टलिस्टिंग के बारे में आदेश दिनांक 18.05.2021 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार पारदर्शिता की व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उपरोक्तानुसार शार्टलिस्टेड अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 20 अंकों का सम्पन्न कराया जायेगा और इस प्रकार 20 अंकों के आधार पर साक्षात्कार की प्रक्रिया सम्पन्न करते हुए इन्हीं 20 अंकों पर आधारित परिणाम घोषित किया जायेगा। इसमें शार्टलिस्टिंग के लिए निर्धारित अंक नहीं जोड़े जायेंगे।

भवदीय

(महेश कुमार गुप्ता)
अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल।

प्रतिनिधि कुलपतिगण, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, निदेशक, सचय मन्त्री स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ / निदेशक, डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(डा० राम मनोहर लोहिया)
विशेष कार्यधिकारी, शिक्षा श्री राज्यपाल।

विद्या परिषद् मा. कुलाधिपति महोदय के उपर्युक्त निदेश को नियुक्ति प्रक्रिया में अनुपालन किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान करते हुए यह भी संस्तुति की कि सहायक आचार्य एवं सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति हेतु आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा सम्बन्धित विषयों की करायी जाय।

अंत में माननीय कुलपति सहित समस्त सम्मानित सदस्यों के प्रति का कुलसचिव द्वारा धन्यवाद ज्ञापन बैठक सम्पन्न हुयी।

भवदीय

कुलसचिव
सं.सं.वि.वि., वाराणसी

विचार-विमर्श के अनन्तर कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मति से विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 11.11.2021 में की गयी संस्तुतियों पर अपनी स्वीकृति प्रदान की।

कार्यपरिषद् उक्त पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के पश्चात् निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय की भूमि जो विश्वविद्यालय के अधिकार एवं कब्जे में विश्वविद्यालय के स्थापना काल से है, उसे विश्वविद्यालय के नाम कराने हेतु विधिक कार्यवाही के साथ-साथ शासन से भी अनुरोध किया जाय कि विश्वविद्यालय के कब्जे में जो भूमि विश्वविद्यालय के स्थापना काल से है, उसे विश्वविद्यालय के नाम करने हेतु सम्बन्धित विभाग को निर्देश प्रदान करें।

3. विश्वविद्यालय स्थित आयुर्वेद भवन विश्वविद्यालय को हस्तान्तरित कराने के सम्बन्ध में विचार।

कार्यपरिषद् को अवगत कराया गया कि वर्तमान में स्थित राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, वाराणसी विश्वविद्यालय के संकाय के रूप में विश्वविद्यालय परिसर में संचालित की जाती थी। परन्तु बाद में यही आयुर्वेद संकाय को राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, वाराणसी के रूप में उ.प्र.शासन ने परिवर्तित कर दिया। इस राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय की अपनी भूमि आदि न होने के कारण विश्वविद्यालय परिसर से ही यह संस्था संचालित होती थी, परन्तु अब राजकीय महाविद्यालय का विश्वविद्यालय परिसर से बाहर भवन आदि निर्मित हो गया है और वही से वर्तमान में संचालित हो रही है। परिसर के बाहर के भवन से संचालित होने के पश्चात् भी उक्त महाविद्यालय ने विश्वविद्यालय परिसर स्थित विश्वविद्यालय के भवन को अभी तक रिक्त नहीं किया है।

उक्त के क्रम में विचार-विमर्श करने के पश्चात् कार्यपरिषद् ने निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय से परिसर स्थित भवन रिक्त कराने हेतु उ.प्र.शासन को पत्र प्रेषित कर अनुरोध किया जाय।

- 4- सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष पद हेतु प्राप्त आवेदनों के प्राथमिक मूल्यांकन हेतु गठित समिति की संस्तुति पर विचार।

कार्यपरिषद् के समक्ष सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष पद हेतु प्राप्त आवेदनों के प्राथमिक मूल्यांकन हेतु गठित समिति की अधोलिखित संस्तुति की गयी।

L.C. 5438/2001
SP/11/2021

कार्यवृत्त
11-11-2021

(11-11-2021)

आज दिनांक 06.11.2021 शनिवार को 2.00 बजे अपराह्न कुलपति (कार्यवाही विभाग) ने सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष पद हेतु प्राप्त आवेदनों के प्राथमिक मूल्यांकन हेतु गठित समिति की बैठक आयोजित की गई। जिसमें निम्नलिखित सदस्यों ने सहभागिता की -

1. प्रो. डी.के. सिंह, पुस्तकालयाध्यक्ष, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।
2. डॉ. राजेश कुमार सिंह, उप पुस्तकालयाध्यक्ष, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।
3. प्रो. शैलेश कुमार मिश्र, समन्वयक, आई.एन.ए.सी।
4. डा. राजा पाठक, सह-समन्वयक, आई.एन.ए.सी।
5. डॉ. मधुसूदन मिश्र, सदस्य, आई.एन.ए.सी।

बैठक में समिति ने सर्वसम्मति से सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के शॉर्ट लिस्टिंग एवं क्षीरता मूल्यांकन के विषय में यू०जी०सी० रेग्युलेशन 2018, पृष्ठ सं. 107 में दिये गये तालिका 3A में वर्णित सहायक आचार्य के लिए विने गद अंक प्रणाली को ही अपमाने का निर्णय लिया है।

संलग्नक -

1. Criteria for short listing of Candidates for Interview for the Post of Assistant Professor in Universities.
2. उदाहरणार्थ प्रतिरूप।

(11-11-2021)

(11-11-2021)

(11-11-2021)

(11-11-2021)

- (ii) Desirable: Higher Qualification, such as Ph.D. degree in any discipline of Physiotherapy recognized by the U.G.C. and published work of high standard in peer-reviewed or UGC - listed journals.

III. PROFESSOR:

Essential: Master's Degree in Physiotherapy (M.P.T. / M.P.Ts/M.Th.P/M.Sc. P.T.), with ten years experience.
Desirable:

- (i) Higher Qualification like Ph. D. in any subject of Physiotherapy recognized by U.G.C. and published work of high standard in peer -reviewed or UGC- listed journals.

IV. PRINCIPAL / DIRECTOR / DEAN:

Essential: Master's Degree in Physiotherapy (M.P.T./M.Th.P./M.Ph./M.Sc. P.T.) with fifteen years' total experience, including five years experience as Professor (Physiotherapy).
Note:

- (i) Senior-most Professor shall be designated as the Principal / Director / Dean.
- (ii) Desirable: Higher qualification like Ph.D. in any subject of Physiotherapy recognized by the UGC and published work of high standard in peer-reviewed or UGC listed journals.

MINIMUM QUALIFICATIONS FOR DIRECT RECRUITMENT TO THE POSTS OF UNIVERSITY ASSISTANT LIBRARIAN / COLLEGE LIBRARIAN, UNIVERSITY DEPUTY LIBRARIAN AND UNIVERSITY LIBRARIAN

I. UNIVERSITY ASSISTANT LIBRARIAN / COLLEGE LIBRARIAN

- (i) A Master's Degree in Library Science, Information Science or Documentation Science or an equivalent professional degree, with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point -scale, wherever the grading system is followed).
- (ii) A consistently good academic record, with knowledge of computerization of a library.

iii) Besides fulfilling the above qualifications, the candidates must have cleared the National Eligibility Test (NET) conducted by the UGC, CSIR or similar test accredited by the UGC like SLET/SET or who are or have been awarded a Ph.D. Degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil./Ph.D. Degree) Regulations, 2009 or 2016 and their amendments from time to time as the case may be.

Provided that the candidates registered for the Ph.D. degree prior to July 11, 2006, shall be governed by the provisions of the then existing Ordinances / Regulations / Regulations of the Institution awarding the degree, and such Ph.D. candidates shall be exempted from the requirement of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities/Colleges / Institutions subject to the fulfilment of the following conditions:-

- a) The Ph.D. degree of the candidate has been awarded in the regular mode
- b) The Ph.D. thesis has been evaluated by at least two external examiners;
- c) Open Ph.D. viva voce of the candidate has been conducted;
- d) The candidate has published two research papers from his/her Ph.D. work out of which at least one is in a refereed journal;
- e) The candidate has presented at least two papers based on his/her Ph.D. work in conferences/seminars sponsored/funded/supported by the UGC/CSIR/ICSR or any similar agency.

Note:

- (i) The fulfilment of these conditions is to be certified by the Registrar or the Dean (Academic Affairs) of the University concerned.
- (ii) NET/SLET/SET shall also not be required for candidates in such Master's Programmes for which NET/SLET/SET is not conducted by the UGC, CSIR or similar test accredited by the UGC like SLET/SET.

[Handwritten signature]
9-11-21

[Handwritten signature]
9/11/21

[Handwritten signature]
9/11/21

[Handwritten signature]
9/11/21

[Handwritten signature]
9/11/21

Note:

- * Paper presented if part of edited book or proceedings then it can be obtained only once.
- * For joint supervision of research students, the faculty shall be 70% of the total score for Supervisor and Co-supervisor. Supervisor and Co-supervisor, both shall get 7 marks each.
- * For the purpose of calculating research score of the teacher, the combined research score from the categories of AOs, Policy Documents and 6. invited lectures/Balances Papers/Paper presentation shall have an upper ceiling of thirty percent of the total research score of the teacher concerned.
- * The research score shall be from the minimum of three categories out of six categories.

Table 3.A

Criteria for Short-listing of Candidates for Interview for the Post of Assistant Professors in Universities

S.N.	Academic Record	Score	Score	Score	Score
1.	Graduation	80% & Above = 12	60% to less than 80% = 13	55% to less than 60% = 10	50% to less than 55% = 05
2.	Post-Graduation	80% & Above = 28	60% to less than 80% = 23	55% to less than 60% = 20	50% to less than 55% = 15
3.	M.Phil.	60% & above = 07	55% to less than 60% = 05		
4.	Ph.D.	30			
5.	NET with JRF	07			
	NET	03			
	SLET/SET	03			
6.	Research Publications (2 marks for each research publications published in Peer-Reviewed or UGC-listed Journals / e-journals / e-books)	10			
7.	Teaching / Post-Doctoral Experience (2 marks for one year each)	10			
8.	Awards				
	International / National Level (Awards given by International Organizations/ Government of India / Government of India recognized National Level Bodies)	03			
	State Level (Awards given by State Government)	02			

However, if the period of teaching/Post-doctoral experience is less than one year then the marks shall be reduced proportionately.

Note:

- (A) (i) M.Phil + Ph.D. Maximum - 30 Marks
- (ii) JRF/NET/SET Maximum - 07 Marks
- (iii) In awards category Maximum - 03 Marks
- (B) Number of candidates to be called for interview shall be decided by the concerned universities.

[Handwritten signature]
9-11-21

[Handwritten signature]
9/11/21


[Handwritten signature]
9/11/21

[Handwritten signature]
9/11/21

[Handwritten signature]
9/11/21


Name:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Candidates	Post	M. Phil	Ph.D.	Net (with JRF)	NET	NET / SET	Research Publications (2 Marks for each research publications published in Peer-reviewed or ISI/IC indexed journals)	Working/Teaching experience (2 Marks for one year each)	Annual	
		80% Above - 07	30	07	05	05			International Level	State Level
80% to less than 80% - 11	80% to less than 80% - 11	55% to less than 80% - 05								
55% to less than 80% - 10	55% to less than 80% - 10	In case of academic category (1) 05 to less than 80% - 20								
45% to less than 55% - 07										



समिति की संस्तुति पर विचार-विमर्श करने के पश्चात् कार्यपरिषद् ने सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पद की शार्ट लिस्टिंग एवं योग्यता मूल्यांकन के विषय में यू.जी.सी. रेग्युलेशन-2018, पृष्ठ सं.107 में दिये गये दिये गये तालिका 3ए. में वर्णित सहायक आचार्य के लिए दिये गए अंक प्रणाली को ही अपनाने हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान की।

अंत में माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए सभा विसर्जन करने की घोषणा की।


 कुलसचिव / सा.कुलयालय
 13/11/21

कुलसचिव
सं.सं.वि.वि., वाराणसी


 13/11/2021